न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—140/2018/225 (2018/00140)

1. अमरचंद पुत्र छोटेलाल बैरवा, जाति बैरवा, नि0 पालबीछला, (भगवानपुरा) बैरवा बस्ती, अजमेर ।
2. सावित्री देवी पत्नी अमरचन्द जाति बैरवा, नि0 पाल बीछला, (भगवानपुरा) बैरवा बस्ती, अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. श्रीमती जीवणी पुत्री स्व0 श्री धन्ना पुत्र चन्दा पत्नी हजारी जाति रेगर, मूल निवासी किरानीपुरा, तह0 अजमेर हाल नि0 ग्राम लाडपुरा, तहसील व जिला अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर, दिनांक 29.6.2016 अंतर्गत प्रकरण संख्या 13/2013.

उपस्थितः—

1. श्री हरिसिंह चौहान, वकील अपीलांटस ।
2. श्री निर्मल कुमार जैन, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 2.

निर्णय

दिनांकः— 30.7.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के आदेश दिनांक 29.6.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1/प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद के साथ प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1055 के तहत पेश कर स्वंय को वादग्रस्त आराजियात में 1/2 हिस्से का सहखातेदार घोषित किये जाने तथा वाद के विचाराधीन रहते अप्रार्थीगण/अपीलांटस को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया । अधी0न्याया0 ने प्रकरण को लोक अदालत कैम्प में रखकर उभयपक्ष को विवादित आराजियात बाबत् मूल वाद के निस्तारण तक मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद करने के आदेश दिनांक 29.6.2016 को पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।
3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अपीलांटस ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.3.2004 को खातेदारी भूमि अवस्थित ग्राम किरानीपुरा, तहसील व जिला अजमेर की खतौनी संख्या नयी 432 व पुरानी 404 के खसरा संख्या 340 रकबा 13 बिस्वा में भूखण्ड संख्या 9 क्षैत्रफल 237 वर्गगज व भूखण्ड संख्या 10 क्षैत्रफल 226 वर्गगज को क्रय किया था तथा क्रय दिनांक से अपीलांटस उपरोक्त भूमियों पर मालिक स्वामी काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है जिसकी जानकारी स्वंय रेस्पो0 संख्या 1 को भी थी इसके बावजूद रेस्पो0 संख्या 1 के द्वारा अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से करीब 9–10 वर्ष बाद वाद पेश किया है। अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र में पारित आदेश दिनांक 29.6.2016 बिना अपीलांटस को सुनवाई का अवसर दिये मनमाने तौर पर पारित किया है जबकि अपीलांटस द्वारा उक्त राजस्व प्रार्थना पत्र में अपना जवाब भी प्रस्तुत नहीं किया था । अपीलांटस विवादित आराजियात का सद्भाविक क्रेता है इसके बावजूद अपीलाधीन आदेश से अपीलांटस को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद करने से अपीलांटस के हित व अधिकार प्रभावित हुए है । बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन आदेश लोक अदालत में केवल मात्र निस्तारण को बढ़ाने के उद्देश्य से पारित किया है जबकि अधी0न्याया0 को प्रार्थना पत्र को उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये था । अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत् एवं विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी समय पर नहीं होने से समयावधि में अपील पेश नहीं की जा सकी । अपीलांट लंबी बीमारी एवं शारीरिक कमजोरी के कारण अपने अधिवक्ता से संपर्क नहीं कर सका जिसके चलते नियत समयावधि में अपील पेश नहीं कर सका । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ने जवाब बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है । बहस में आगे कथन किया कि अपीलांटस के द्वारा अधी0न्याया0 के आदेश दिनांक 29.6.2016 जीवणी बनाम मिट्ठूलाल व अन्य में पारित आदेश के विरूद्ध पेश की है । अधी0न्याया0 के समक्ष जीवणी बनाम मिट्ठूलाल वगैरह के प्रकरण में अप्रार्थीगण 1 लगायत 18 पक्षकार के रूप में संयोजित थे किन्तु अपीलांटस द्वारा सभी तथ्यो की जानकारी होते हुए भी मात्र रेस्पो0 संख्या 1 जीवणी व रेस्पो0 संख्या 2 राज्य सरकार को पक्षकार बनाते हुए अपील पेश की है जबकि विधिनुसार अधी0न्याया0 के समक्ष सभी पक्षकारों को अपील में अपीलांटस को पक्षकार बनाना चाहिये था । बिना न्यायालय की आज्ञा के न तो कोई पक्षकार हट सकता है एवं न ही जोड़ा जा सकता है । अपीलांटस ने अपनी मनमर्जी से ही बिना समस्त पक्षकारों को पक्षकार बनाये अपील पेश की है जो निरस्तनीय है । यह भी कथन किया कि अपीलांटस द्वारा आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र में पक्षकार संख्या 1 से 13 के नाम पते ही अंकित नहीं किये गये कि अपीलांटस किसे पक्षकार बनाना चाहता है । अपीलांटस /प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 जा0दी0 में भी आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र में संशोधन चाहा है कि पक्षकार संख्या 1 से 13 को प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 में जोड़ा परन्तु पक्षकार संख्या 1 मिट्ठूलाल पुत्र रामा पूर्व से ही फौत हो चुका है एवं मृत व्यक्ति को पक्षकार के रूप में नहीं जोडा जा सकता है । अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत

उक्त दोनों प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है एवं अपील भी विधिसम्मत् रीति से पेश नहीं की गई है इस कारण निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांटस खारिज की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम हम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित प्रतीत होते है । हम न्यायाहित में अपीलांट को सुना जाना उचित समझते है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील में हुआ विलंब माफ किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

8. प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । अधी0न्याया0 की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 के समक्ष आक्षेपित प्रकरण में 1 लगायत 18 अप्रार्थीगण के रूप में पक्षकार संयोजित रहे परन्तु अपीलांटस द्वारा बिना न्यायालय के आदेश के अपनी इच्छानुसार हस्तगत अपील में केवल मात्र रेस्पो0 संख्या 1 जीवणी व रेस्पो0 संख्या 2 राज0 सरकार को ही पक्षकार संयोजित किया है जबकि विधिनुसार अधी0न्याया0 की पत्रावली पर संयोजित समस्त पक्षकारान संख्या 1 लगायत 18 को पक्षकार संयोजित करना चाहिये था । यदि किसी पक्षकार की मृत्यु हो गई है तो उसके वारिसान को बतौर पक्षकारान संयोजित करना चाहिये । अपीलांटस ने आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र में बिना पक्षकारों के नाम पते अंकित किये प्रार्थना पत्र पेश किया एवं इस प्रार्थना पत्र में संशोधन के आशय से आदेश 6 नियम 17 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें पक्षकारा संख्या 1 मिठूलाल पुत्र रामा पूर्व से ही फौत है का भी नाम अंकित किया है जो अविधिक है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपीलांटस/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 एवं आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 जा0दी निरस्त योग्य पाये जाते है एवं आवश्यक पक्षकारों के अभाव में प्रस्तुत हस्तगत अपील भी निरस्त योग्य पायी जाती है ।

9. अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 एंव आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 जा0दी0 निरस्त किये जाते है तथा अपील अपीलांट आवश्यक पक्षकारों को संयोजित नहीं किये जाने के अभाव में खारिज की जाती है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 30.7.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर